न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्याः— 144/2022

1. श्रीराम पुत्र उमरावसिह, उम्र 78 साल, जाति अहीर, निवासी जयसिहपुरा, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं।
2. बिरमती पत्नी श्रीराम, उम्र 74 साल, जाति अहीर, निवासी जयसिहंपुरा, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्टस

बनाम

1. दिनेश यादव पुत्र श्रीराम, उम्र 51 साल, जाति अहीर, निवासी जयसिहंपुरा, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं हाल आबाद 1537 सेक्टर ए, पाकेट बी, बसंत कुंज, नई दिल्ली 110070
2. उप पंजीयक, बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्टस

———

उपस्थितः—

1. श्री रोताश कुलहरी, एडवोकेट— अपीलान्ट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री विजयपाल, एडवोकेट— रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से उपस्थित।

———

प्रथम अपील अ0धारा 16 माता पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एंव कल्याण अधिनियम 2007 अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी एवं माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिकरण बुहाना जिला झुंझुनूं उनवानी श्रीराम वगैरह बनाम दिनेश यादव वगैरह आवेदन सं. 02/2022 वाद शून्य घोषित/निरस्त किये जाना उपहार पत्र दिनांक 04.09.2013 अन्तर्गत धारा 23 माता पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 तथा घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा निर्णय दिनांक 17.08.2022

आदेश

दिनांक 28.11.2022

उक्त विषयक अपील विद्वान उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना के आदेश दिनांक 17.08.2022 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र स्थगन के प्रस्तुत की गई है। अपीलान्टस की ओर से अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि आवेदकगण/अपीलान्ट्स ग्राम जयसिहपुरा तहसील बुहाना के वरिष्ठ नागरिक है जहां पर निवास करते है। अदालत मातहत का आदेश दिनांक 17.08.2022 [illegible] एवं पत्रावली है। वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2066 से [illegible] के [illegible]ता सं0 334 के ख0न0 1760 रकबा 0.46 हैक्टर, ख0न0 1761 रकबा 0.82 हैक्टर, ख0न0 1763 रकबा [illegible]14 हैक्टर, ख0न0 1802/3 रकबा 0.07 हैक्टर, ख0न0 1802/4 रकबा 0.05 हैक्टर, ख0न0 1804 रकबा 0.50 हैक्टर, ख0न0 1806 रकबा 0.40 हैक्टर, ख0न0 1807 रकबा 0.20 हैक्टर, [illegible]44 हैक्टर, ख0न0 180[illegible] [illegible] 1.50 हैक्टर, ख0न0 1810 रकबा 0.66 हैक्टर, ख0न0 1811 रकबा 0.17 हैक्टर, ख0न0 1812 [illegible]5 हैक्टर कुल किता 13 कुल रकबा 7.76 हैक्टर में आवेदक सं0 1/अपीलान्ट सं0 1 की 1/10 हिस्से खातेदारी में दर्ज रही है। इसी तरह ग्राम बुडाना स्थित भूमि खाता सं0 981 के ख0न0 1781 रकबा 1.09 हैक्टर में आवेदक

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.12.01 16:43:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनू

का 1/2 हिस्सा है तथा खाता सं0 983 के ख0न0 1714 रकबा 2.61 हैक्टर, ख0न0 1716 रकबा 0.23 हैक्टर, ख0न0 1718 रकबा 0.45 हैक्टर, ख0न0 1725/2 रकबा 0.10 हैक्टर, ख0न0 1737 रकबा 0.34 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 3.73 हैक्टर में हिस्सा 1/2 भाग दर हिस्सा 1.85 हैक्टर खाता सं0 988 के ख0न0 1739 रकबा 1.20 हैक्टर, ख0न0 1742 रकबा 1.24 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.44 हैक्टर मे आवेदक/अपीलान्ट का 1/8 हिस्से खातेदार काश्तकार दर्ज है। अपील की धारा 2 में वर्णित भूमि में से अपीलान्ट ने अपने सम्पूर्ण हिस्से में से 1/2 हिस्से का उपहार पत्र दिनाक 04.09.2013 को अनावेदक नं0 1/रेस्पोडेन्ट नं0 1 के पक्ष में कर दिया। अनावेदक सं0 1 का जायन्दा (औरस) पुत्र है तथा उक्त उपहार पत्र करवाते समय अनावेदक नं0 1/रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने अपीलान्ट्स को भरोसा व विश्वास दिलवाया था वो अपीलान्ट्स की अच्छे से देखभाल करेगा तथा उनकी हर जरूरत को पूरी करने का दायित्व लिया था तथा यह भी विश्वास दिलवाया था कि अनावेदक सं0 1 जो आवेदकगण का औरस पुत्र है वह आवेदकगण को अपने साथ परिवार के साथ जहां वो दिल्ली में निवास कर रहा है वहां पर रखेगा तथा आवेदकगण/अपीलान्ट्स को हर जरूरत जैसे रोटी, कपडा, मकान, दवाई तथा उनकी हर इच्छा को ध्यान में रखते हुये उनकी जरूरत पूरी करेगा व उसके बुढापे का एक मात्र सहारा बनेगा। ग्राम जयसिहंपुरा तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 के अनुसार खाता सं0 59 के ख0न0 10 रकबा 1.30 हैक्टर, ख0न0 11 रकबा 0.81 हैक्टर, ख0न0 159 रकबा 0.85 हैक्टर, ख0न0 160 रकबा 0.77 हैक्टर, ख0न0 161 रकबा 0.82 हैक्टर, ख0न0 162 रकबा 0.81 हैक्टर, ख0न0 189 रकबा 0त्र69 हैक्टर, ख0न0 190 रकबा 0.72 हैक्टर, ख0न0 191 रकबा 0.71 हैक्टर, ख0न0 192 रकबा 0.78 हैक्टर, ख0न0 193 रकबा 0.80 हैक्टर कुल किता 11 कुल रकबा 9.06 हैक्टर में आवेदक सं0 1 का 1/10 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। आवेदक सं0 1/अपीलान्ट नं0 1 ने अपने 1/10 हिस्से में से 1/2 हिस्सा यानि की 1/20 हिस्से का उपहार पत्र दिनांक 04.09.2013 को रेस्पोडेन्ट नं0 1 के पक्ष में रेस्पोडेन्ट नं0 2 के कार्यालय में उपस्थित होकर रजिस्टर्ड करवा दिया। अपीलान्टस का रेस्पोडेन्ट नं0 1 पुत्र है जिसको अपीलान्टस ने बचपन में पाल पोसकर पढाया लिखाया उसकी अच्छी परवरिस की है। उसी के अनुसार अपीलान्ट्स ने रेस्पोडेन्ट नं0 1 को व्यवसाय हेतु आर्थिक मदद भी की है उसी की वजह से रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने दिल्ली में एक्टपोर्ट का व्यवसाय शुरू किया जो वर्तमान में बहुत अच्छा चल रहा है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 करीब 50 लाख रूपये प्रतिमाह व्यवसाय से कमाता है तथा दिल्ली में मकान नं0 1537 सेक्टर ए पोकेट बी बसंत कुंज नई दिल्ली 110070 में आलीशान तीन मंजिला मकान है जो सम्पूर्ण मकान में एसी लगे हुये है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 के पास तीन चार लग्जरी गाडियां है जिसको प्रत्येक घर का सदस्य अलग अलग काम में लेता है तथा दिल्ली में ही करीब चार करोड का ऑफिस खरीद रखा है जिसमें कम से कम 50 कर्मचारी उसके लिये काम करते है तथा उसी ऑफिस से अपना एक्सपोर्ट बिजनेन्स चलाता है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 व उसकी पत्नी दिल्ली में रहते है जो बहुत चालाक प्रवृति के है। अपीलान्ट सं0 1 भी पहले जयसिहपुरा में पदाडी इकट्ठा करके ईट भटटे पर बेचान करने का कार्य करता था जिसमें अपीलान्ट्स को करीब 30 लाख का घाटा हो गया तथा अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट नं0 1 का व्यवसाय चलाने के लिये 50 लाख रूपये लोगों से उधार लेकर व कुछ अपने पास से दिये थे। अपीलान्ट के व्यवसाय में घाटा लगने व अपने पुत्र की व्यवसाय में मदद करने के लिये लोगो से पैसा लेने से कर्जा हो गया तब अपीलान्ट्स ने रेस्पोडेन्ट सं0 1 को मदद के लिये कहा। तब रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने विश्वास दिलाया कि अपीलान्ट्स का समस्त ऋण अदा करने की जिम्मेदारी स्वयं पर ली तथा अपीलान्ट्स को अच्छी तरह रखना शुरू कर दिया तथा यह भी विश्वास दिलवाया कि अपीलान्ट्स का सारा कर्जा उतार कर उनकी छोटी से छोटी और बडी से बडी जरूरत को पूरा करने की जिम्मेदारी अपने उपर ली तथा यह कहा कि भविष्य में आपको खाना, कपडा, दवाई तथा हर जरूरत की हर वस्तु अपीलान्ट्स अपील के मद संख्या 2 व 4 में स्थित भूमि में से अपना हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं0 1 के हक में उपहार स्वरूप गिफ्ट कर दे। अपीलान्टस वात्सत्य के भाव में बहकर तथा रेस्पोडेन्टस नं0 1 पर विश्वास करके अपने हिस्से की भूमि रेस्पोडेंन्ट सं0 1 के हक में दिनांक 04.09.2013 को उपहार करवा दिया। अपीलान्टस को रेस्पोडेन्ट सं0 1 एक दो वर्ष तक ठीक व सही तरीके से रखता रहा व कुछ देखभाल भी की। लेकिन उसके पश्चात रेस्पोडेन्ट नं0 1 व उसकी पत्नी के व्यवहार में बदलाव आ गया तथा अपीलान्ट्स की दैनिक जरूरतों को पूरा करना बन्द कर दिया अपीलान्ट्स ने रेस्पोडेंन्ट नं0 1 को काफी बार याद भी दिलवाया व

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.12.01 15:43:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

एहसास भी करवाने की कोशिश की वे उसके माता पिता है जिनकी देखभाल करना उसकी दैनिक जरूरतो की पूर्ति करना रेस्पोडेन्ट सं0 1 का दायित्व है तथा अपीलान्ट्स ने इसी भावनात्मक शर्त के अनुसार रेस्पोडेन्ट सं0 1 के पक्ष में अपनी भूमि का उपहार पत्र तस्दीक करवाया है। तथा अपीलान्ट्स ने यह भी एहसास दिलवाया कि अपीलान्ट्स के उपर काफी व्यक्तियां का ऋण बकाया है जिसका ब्याज लगातार बढने से अपीलान्ट्स का जीना मुश्किल हो गया है लेकिन रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अपीलान्ट्स की तरफ कोई ध्यान नही दिया रेस्पोडेन्ट नं0 1 आये दिन अपीलान्ट्स को गाली गलौज करना शुरू कर दिया तथा प्रताडित करना शुरू कर दिया। इस तरह से अपीलान्ट सं0 1 को सन् 2015 में घर से निकाल दिया। अपीलान्ट सं0 1 मजबूरीवश जयसिहपुरा (बुहाना) स्थित अपने भाई के मकान में रहने को मजबूर हो गया। अपीलान्ट सं0 1 ने इस बात से संतोष कर लिया कि कम से कम उसकी पत्नी अपीलान्ट सं0 2 कों रेस्पोडेन्ट सं0 1 व उसकी पत्नी अच्छी तरह से रखेंगे व देखभाल करेगे व उसकी हर जरूरत की पूर्ति करेगे। अपीलान्ट्स द्वारा रेस्पोडेन्ट नं0 1 के हक में करवाये गये उपहार पत्र के जरिये वाद पत्र के खण्ड संख्या 2 व 4 में वर्णित भूमि का नामान्तरकरण अपने पक्ष में करवा लिया। इसी दौरान रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने उपहार पत्र के जरिये दर्ज हुई भूमि का खाता विभाजन भी अपने पक्ष में करवा लिया। विभाजन होने के पश्चात रेस्पोडेन्ट नं0 1 के हिस्से में ग्राम बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के खाता संख्या 464 के हाल ख0न0 3043/1760 रकबा 0.27 हैक्टर, ख0न0 3046/1806 रकबा 0.20 हैक्टर, ख0न0 3050/1810 रकबा 0.28 हैक्टर सम्पूर्ण कुल किता 3 कुल रकबा 0.75 हैक्टर तथा ग्राम बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के हाल खाता संख्या 963 के ख0न0 1739 रकबा 1.20 हैक्टर, ख0न0 1742 रकबा 1.24 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.44 हैक्टर में अनावेदक संख्या 1/रेस्पोडेन्ट सं0 1 का 1/8 हिस्सा दर्ज हो गया तथा ग्राम बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के खाता सं0 465 के ख0न0 1714 रकबा 2.61 हैक्टर, ख0न0 1716 रकबा 0.23 हैक्टर, ख0न0 1718 रकबा 0.45 हैक्टर, ख0न0 1737 रकबा 0.34 हैक्टर, ख0न0 3415/1725 रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 3.73 हैक्टर में रेस्पोडेन्ट सं. 1 का 185/746 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है उक्त सम्पुर्ण कृषि भूमि अपीलान्ट सं0 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 1 के पक्ष में उपहार पत्र के जरिये दी है रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अपीलान्ट्स को यह विश्वास दिलवाया था कि अपीलान्ट्स का जीवन पर्यन्त ध्यान रखेगा। उनकी हर दैनिक जरूरतें पूरी करेंगे। जैसे कपड़ा, आवास, खाना पीना, दवाईया, व एक अच्छी जिन्दगी मौहिया करवायेगा। इसी भावनात्मक शर्त के अनुसार अपीलान्ट्स ने उक्त उपहार पत्र दिनांक 04.09.2013 को रेस्पोडेन्ट सं0 1 के पक्ष में रेस्पोडेन्ट नं0 2 के कार्यालय में पंजीयन व तस्दीक करवाया है। अपीलान्ट्स द्वारा रेस्पोडेन्ट नं0 1 के पक्ष में अपनी भूमि का उपहार पत्र करवाने के पश्चात 2–3 वर्ष तक रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अपीलान्ट्स को सही तरीके से रखा फिर सन् 2015 में अपीलान्ट सं0 1 को रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अपने निवास स्थान दिल्ली से गालियां व जलील करके निकाल दिया। अपीलान्ट सं0 1 को निकालने के 2 वर्ष पश्चात् अपीलान्ट सं0 2 को भी मारपीट करके व जलील करके बेईज्जत करके घर से निकाल दिया। अपीलान्ट्स मजबूरी वश ग्राम बुहाना में अपने भाई के मकानों में बडी मुश्किल से जीवन यापन कर रहे है अपीलान्ट सं0 2 बीमार रहती है। उसकी चलने फिरने की भी हालत नही है व अपने खाना बनाने व कपड़े धोने व दैनिक जीवन का कोई भी कार्य करने में असमर्थ है व अपीलान्ट्स दोनो ही अपने उम्र के अन्तिम पड़ाव में है जहां उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है साथ ही अपीलान्ट्स ने रेस्पोडेन्ट सं0 1 जो उनका पुत्र है उसका व्यवसाय चलाने के लिये कई व्यक्तियों से ऋण लेकर करीब 50 लाख रूपये रेस्पोडेन्ट सं0 1 को दिये थे जब अपीलान्ट [illegible] के पक्ष में उपहार पत्र करवाया उस समय रेस्पोडेन्ट सं0 1 के पक्ष में इस भावनात्मक शर्त [illegible] उपहार पत्र तस्दीक करवाया था कि अपीलान्ट्स का ऋण व उनकी दैनिक [illegible] रेस्पोडेन्ट नं0 1 के उपर रहेगी। इसी शर्त को स्वीकार करते हुये [illegible] अपीलान्ट्स को यह विश्वास दिलवाया था कि वह उनकी सम्पूर्ण दैनिक आवश्यकता [illegible] तथा अपीलान्ट्स पर जो ऋण है उसकी अदायगी भी स्वयं उपहार पत्र तस्दीक होने के 5 वर्ष के भीतर सम्पूर्ण ऋण अदा करने का वचन दिया था लेकिन उपहार पत्र अपने पक्ष में तस्दीक करवाने के पश्चात् भी अपीलान्ट्स का ऋण अदा नही किया तथा ना ही अपीलान्ट्स की सेवा व उनकी दैनिक जरूरतो को पूरा किया है बल्कि अपीलान्ट्स को रेस्पोडेन्ट सं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.12.01 15:43:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

1 ने अपने दिल्ली स्थित निवास से जबरन गालिया व बेईज्जत करके निकाल दिया है वर्तमान में अपीलान्ट्स बडी दयनीय स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने अपीलान्ट्स को ऋण अदा करने व बुढापे में उनकी दैनिक जरूरतों जैसे रोटी, कपडा, मकान, दवाई तथा समय पर कही जाने पर गाडी उपलब्ध करवाने का प्रलोभन देकर विश्वास दिलवाया है इस प्रकार रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने अपीलान्ट्स से धोखाधडी करके तथा धोखे में रखकर वाद पत्र के खण्ड सं0 2 व 4 मे वर्णित भूमि का उपहार पत्र अपने हक में तस्दीक करवा लिया है शर्त अनुसार रेस्पोडेन्ट नं0 1 को अपीलान्ट्स की दैनिक जरूरते पूरी करने व उसका ऋण चुकाने का दायित्व था जिसको उसने नही निभाया है इस प्रकार रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अपीलान्ट्स को जालसाजी व धोखाधडी से उक्त उपहार पत्र अपने पक्ष में करवाया जो अपीलान्ट्स के अधिकारों पर शून्य प्रभावी है जिसके आधार पर अपीलान्ट्स उपहार पत्र को शून्य निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है तथा उसी अनुसार इस उपहार पत्र को निरस्त करवाने के भी अधिकारी है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 अपनी खुद की कम्पनी चलाता है व अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अदालत मातहत ने एक कम्पनी में नौकरी करना बताता है जबकि अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत में उसके समस्त स्टेटमेन्ट इनकम टैक्स पेयी होने तथा लाखों रूपये महीने के आदान–प्रदान का लेखा जोखा पेश किया जिसका अदालत मातहत ने कोई हवाला नही दिया। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में कहा है कि उस अधीकरण को खातेदारी अधिकार घोषित करने का अधिकार नही है जबकि अपीलान्ट द्वारा अपने आवेदन पत्र में अदालत मातहत में इस तरह की कोई इस्तदुआ व सिद्धि नही होने के पश्चात जानबूझकर अपीलान्ट का आवेदन पत्र खारिज करने की नियत से आदेश में लिखा गया है। अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में लिखा है कि अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट के मध्य राजीनामा हो गया था। मगर उनके मध्य नही हुआ अपीलान्ट द्वारा दान पत्र तस्दीक व तकमील करवाया गया है। विभिन्न अदालतो में अपनी निर्णयो में यह निर्णित किया है कि दान पत्र खून के रिश्ते में होने व उसमें कंडिशन होनी आवश्यक नही है। बल्कि दान पत्र की एवज में प्रतिफल न लिया गया हो। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.08.2022 को निरस्त किया जाकर अपीलान्टस का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर दानपत्र दिनांक 04.09.2013 निरस्त फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट ने बहस के दौरान अन्य राज्यों के न्यायालयों की नजीरे पेश करते हुए अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपील की धारा 2 में वर्णित भूमि में से अपीलान्ट ने अपने सम्पूर्ण हिस्से में से 1/2 हिस्से का उपहार पत्र दिनाक 04.09.2013 को अनावेदक नं0 1/रेस्पोडेन्ट नं0 1 के पक्ष में कर दिया। अनावेदक सं0 1 का जायन्दा (औरस) पुत्र है तथा उक्त उपहार पत्र करवाते समय अनावेदक नं0 1/रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने अपीलान्ट्स को भरोसा व विश्वास दिलवाया था वो अपीलान्ट्स की अच्छे से देखभाल करेगा तथा उनकी हर जरूरत को पूरी करने का दायित्व लिया था तथा यह भी विश्वास दिलवाया था कि अनावेदक सं0 1 जो आवेदकगण का औरस पुत्र है वह आवेदकगण को अपने साथ परिवार के साथ जहां वो दिल्ली में निवास कर रहा है वहां पर रखेगा तथा आवेदकगण/अपीलान्ट्स को हर जरूरत जैसे रोटी, कपडा, मकान, दवाई तथा उनकी हर इच्छा को ध्यान में रखते हुये उनकी जरूरत पूरी करेगा व उसके बुढापे का एक मात्र सहारा बनेगा। अपीलान्टस का रेस्पोडेन्ट नं0 1 पुत्र है जिसको अपीलान्टस ने बचपन में पाल पोसकर [illegible] परवरिस की है। अपीलान्ट के व्यवसाय में घाटा लगने व अपने पुत्र की व्यवसाय में [illegible] के लिये लोगो से पैसा लेने से कर्जा हो गया तब अपीलान्ट्स ने रेस्पोडेन्ट सं0 1 को मदद के लिये कहा तब रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने विश्वास दिलाया कि अपीलान्ट्स का [illegible] दारी स्वयं पर ली तथा अपीलान्ट्स को अच्छी तरह रखना शुरु [illegible] विश्वास दिलवाया कि अपीलान्ट्स का सारा कर्जा उतार कर उनकी छोटी से छोटी और बडी से बडी जरूरत पूरी करने की जिम्मेदारी अपने उपर ली तथा यह कहा कि भविष्य में आपको खाना, कपडा, दवाई दैनिक जरूरत की हर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.12.01 15:43:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

वस्तु अपीलान्ट्स अपील के मद संख्या 2 व 4 में स्थित भूमि में से अपना हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं0 1 के हक में उपहार स्वरूप गिफ्ट कर दे। अपीलान्टस वात्सत्य के भाव में बहकर तथा रेस्पोडेन्टस नं0 1 पर विश्वास करके अपने हिस्से की भूमि रेस्पोडेंन्ट सं0 1 के हक में दिनांक 04.09.2013 को उपहार करवा दिया। अपीलान्टस को रेस्पोडेन्ट सं0 1 एक दो वर्ष तक ठीक व सही तरीके से रखता रहा व कुछ देखभाल भी की। लेकिन उसके पश्चात रेस्पोडेन्ट नं0 1 व उसकी पत्नी के व्यवहार में बदलाव आ गया तथा अपीलान्ट्स की दैनिक जरूरतों को पूरा करना बन्द कर दिया अपीलान्ट्स ने रेस्पोडेंन्ट नं0 1 को काफी बार याद भी दिलवाया व एहसास भी करवाने की कोशिश की वे उसके माता पिता है जिनकी देखभाल करना उसकी दैनिक जरूरतो की पूर्ति करना रेस्पोडेन्ट सं0 1 का दायित्व है तथा अपीलान्ट्स ने इसी भावनात्मक शर्त के अनुसार रेस्पोडेन्ट सं0 1 के पक्ष में अपनी भूमि का उपहार पत्र तस्दीक करवाया है। तथा अपीलान्ट्स ने यह भी एहसास दिलवाया कि अपीलान्ट्स के उपर काफी व्यक्तियां का ऋण बकाया है जिसका ब्याज लगातार बढने से अपीलान्ट्स का जीना मुश्किल हो गया है लेकिन रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अपीलान्ट्स की तरफ कोई ध्यान नही दिया रेस्पोडेन्ट नं0 1 आये दिन अपीलान्ट्स को गाली गलौज करना शुरू कर दिया तथा प्रताडित करना शुरू कर दिया। भावनात्मक शर्त के अनुसार अपीलान्ट्स ने उक्त उपहार पत्र दिनांक 04.09.2013 को रेस्पोडेन्ट सं0 1 के पक्ष में रेस्पोडेन्ट नं0 2 के कार्यालय में पंजीयन व तस्दीक करवाया है। अपीलान्ट्स द्वारा रेस्पोडेन्ट नं0 1 के पक्ष में अपनी भूमि का उपहार पत्र करवाने के पश्चात 2–3 वर्ष तक रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अपीलान्ट्स को सही तरीके से रखा फिर सन् 2015 में अपीलान्ट सं0 1 को रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अपने निवास स्थान दिल्ली से गालियां व जलील करके निकाल दिया। अपीलान्ट सं0 1 को निकालने के 2 वर्ष पश्चात् अपीलान्ट सं0 2 को भी मारपीट करके व जलील करके बेईज्जत करके घर से निकाल दिया। अपीलान्ट्स मजबूरी वश ग्राम बुहाना में अपने भाई के मकानों में बडी मुश्किल से जीवन यापन कर रहे है अपीलान्ट सं0 2 बीमार रहती है। उसकी चलने फिरने की भी हालत नही है व अपने खाना बनाने व कपड़े धोने व दैनिक जीवन का कोई भी कार्य करने में असमर्थ है व अपीलान्ट्स दोनो ही अपने उम्र के अन्तिम पड़ाव में है जहां उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में लिखा है कि अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट के मध्य राजीनामा हो गया था। मगर उनके मध्य नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा दान पत्र तस्दीक व तकमील करवाया गया है। विभिन्न अदालतो में अपनी निर्णयो में यह निर्णित किया है कि दान पत्र खून के रिश्ते में होने व उसमें कंडिशन होनी आवश्यक नही है। बल्कि दान पत्र की एवज में प्रतिफल न लिया गया हो। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.08.2022 को निरस्त किया जाकर अपीलन्टस का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर दानपत्र दिनांक 04.09.2013 निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बहस के दौरान अपीलान्ट के तर्को का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण अधिनियम 2007 की धारा 2 डी व एच मे माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक को अलग–अलग [illegible] किया गया है। अपीलान्ट ने धारा 23 के अनुसार वरिष्ठ नागरिक की हैसियत से [illegible] नही की है। अपीलान्ट सेवानिवृत कार्मिक है। अपीलान्ट की यह अपील [illegible] अपीलान्ट ने जो नजीरे पेश की है वह वस्तुगत प्रकरण मे चस्पा नही [illegible] राज्यों के न्यायालयों की है। जबकि उक्त एक्ट राजस्थान राज्य [illegible] अपीलान्ट खारीज फरमाई जावे।

राजकीय वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने बहस के दौरान वकील अपीलान्ट व वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1 के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि भरण पोषण की अपील मे अपीलान्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.12.01 15:43:25 IST
Reason: SelfAttested

स्वयं ही बहस/पैरवी कर सकता है। अदालत मातहत. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बुहाना ने विधि के दायरे मे निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पक्षकारान पर बगौर मनन किया अदालत मातहत द्वारा पूर्ण सुनवाई कर परिस्थितियों को मध्यनजर रख कर आदेश दिनांक 17.08.2022 पारित किया है। अपीलान्ट ने यह अपील माता–पिता की हैषियत से पेश की है न कि वरिष्ठ नागरिक की हैषियत से पेश की है। माता–पिता की हैषियत से पेश की गई अपील मे अपीलान्ट उपहार पत्र दिनांक 04.09.2013 को निरस्त करवाने का हकदार नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज की जाती है। रिकार्ड मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 28.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0 कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलेक्टर झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.12.01 15:43:25 IST
Reason: SelfAttested